न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-257RAAJodhpur2024-104RTA223 Sukharam ors Vs Sujanram etc

01. सुखाराम पुत्र नगाजी
02. श्रवण पुत्र गोकलरामजी
03. कमली पुत्री गोकलरामजी
सभी जातियान् पटेल, निवासीगण- ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. सुजाराम पुत्र श्री तुलछाराम के कायम मुकामः -
   1.1. अणची देवी बेवा सुजाराम
   1.2. धुड़ी देवी पुत्री सुजाराम
   जातियान् पटेल, निवासीगण- ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 14/2017 सुजाराम बनाम सुखाराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री बृजेश पुरोहित, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 व 1/2
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 2

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 14/2017 अनवान सुजाराम बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जुलाई 2024 के खिलाफ आलोच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 419 रकबा 78.16 बीघा ग्राम सर के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05 जुलाई 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो एवं शपथ-पत्रों में उल्लेखित तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अपीलार्थी संख्या दो व तीन नाबालिग एवं मंदबुद्धि है। उनके हक व हिस्से को बेचने का अधिकार गोकुलराम को नही था। इस लिए नाबालिग के हिस्से को बेचने से पूर्व न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य था। गोकुलराम द्वारा अनुमति नही ली गई, इस कारण गोकुलराम का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा नहीं बनता है। सहखातेदार नगाराम, गोकुलराम व रामूराम ने विवादित भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड्स के तहत कोई बंटवाड़ा नही किया है, क्योंकि तीनों भाई संयुक्त रूप से काश्त करते थे और रामूराम अविवाहित फौत होने के कारण उनका हक व हिस्सा नगाराम व गोकुलराम सगे भाईयों को मिला एवं नगाराम व गोकुलराम ने अपनी जीवित अवस्था में मिट्स एण्ड बाउण्डस के तहत कोई बंटवाड़ा नहीं करवाया, जबकि प्रतिवादीगण ने उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा होना बताया है। वादग्रस्त आराजी को रेस्पो. द्वारा खरीद की गई है, वह बेचानकर्ता के हिस्से से अधिक भूमि खरीद की गई है तथा मौके पर रेस्पोडेंट्स को कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादीगण द्वार अपनी साक्ष्य से साबित किया है कि मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है। रेस्पो. द्वारा वाद के साथ प्रस्तुत बेचाननामा प्रस्तुत किया है, वह फर्जी है, क्योंकि इस संबंध में अपीलांट्स द्वारा वादी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 162/2017 पुलिस थाना लूणी में दर्ज करवायी, जिस पर विचारण न्यायालय ने गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 14/2017 अनवान सुजाराम बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जुलाई 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं मूल वाद को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक-हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/1 एवं 2/3 की दिमागी हालत को देखते हुए आदेश दिनांक 18.09.2017 के जरिये उनकी ओर से पैरवी करने के लिए अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई को वाद मित्र नियुक्त किया हैं। यह उल्लेखनीय है कि वक्त खरीद से रेस्पो. वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है, जिसकी पुष्टि विचारण न्यायालय में दौरान जिरह हुई है। रेस्पो. के पक्ष में निष्पातिद बेचाननामा आज दिनांक तक प्रभाव है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक-हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 को भेजे गये सम्मनों की तामीली रिपोर्ट में प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 मानसिक रूप से विक्षिप्त होना बताये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ विश्नोई को वाद मित्र नियुक्त किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स को उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा फर्जी एवं कूट रचित है तथा इस संबंध में उनकी ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेंटस संख्या एक के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा दिनांक 31 जनवरी 1987 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बेचाननामा को फर्जी ठहराया नहीं जा सकता है। साक्ष्यी अणछी देवी द्वारा दौरान जिरह वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होकर कृषि कार्य किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 419 रकबा 78 बीघा 16 बिस्वा भूमि में वादीगण के 1/3 हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार लूणी को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक-हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। ऐसी स्थिति में गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पायी जाती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 14/2017 अनवान सुजाराम बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-257RAAJodhpur2024-104RTA223 Sukharam ors Vs Sujanram et c

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. सुखाराम पुत्र नगाजी 02. श्रवण पुत्र गोकलरामजी 03. कमली पुत्री गोकलरामजी सभी जातियान् पटेल, निवासीगण- ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. सुजाराम पुत्र श्री तुलछाराम के कायम मुकामः - 1.1. अणची देवी बेवा सुजाराम 1.2. धुड़ी देवी पुत्री सुजाराम जातियान् पटेल, निवासीगण- ग्राम सर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर। 2. तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर लूणी राजस्व मूल वाद संख्या 14/2017 सुजाराम बनाम सुखाराम इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 23 दिसंबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री बृजेश पुरोहित मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्तागण रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 14/2017 अनवान सुजाराम बनाम सुखाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05 जुलाई 2024 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 236 दिसंबर 2024 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि

1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर